

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टी. सी.-12 वी., विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक: 27947 32/2018/20


दिनांक: 27-7-18

कार्यालय ज्ञाप

दिनांक 26-07-2018 को सम्पन्न हुई बोर्ड की 101वीं बैठक की कार्यसूची संख्या-101.10 पर प्रदान की गयी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में बोर्ड कार्यों के सुचारु एवं त्वरित निष्पादन के दृष्टिगत बोर्ड की 62वीं बैठक की कार्यसूची संख्या-62.13.01 एवं 79वीं बैठक की कार्यसूची संख्या-79.11 में प्रतिनिधानित किये गये वित्तीय अधिकारों को संशोधित करते हुए बोर्ड के सदस्य सचिव को रू0 10,00,000/- (रू0 दस लाख), मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशासन) को रू0 2,00,000/- (रू0 दो लाख) एवं क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी) को रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार) मात्र धनराशि के आवर्तक एवं अनावर्तक व्ययों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उक्त के संबंध में बोर्ड द्वारा पूर्व निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-एफ53130/स्वीकृत/बजट-लेखा/09-10, दिनांक 07-08-2009 को बोर्ड द्वारा उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।


उपरोक्त आदेश तुरन्त से प्रभावी होंगे।

  
(आशीष तिवारी)  
सदस्य सचिव

पृ0सं0 एवम् दिनांक : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष महोदया के निजी सहायक।
- 2- समस्त नियंत्रक अधिकारी, बोर्ड मुख्यालय/समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी(प्रभारी)।
- 3- लेखा-प्रभारी।
- 4- वेब मास्टर, बोर्ड मुख्यालय को विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाने हेतु।
- 5- गार्ड फाईल।

  
(डा0 अखलाक हुसैन)  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशा0)